संख्याः– 5488 / III(2)/11–32(प्रा0आ0)/2006

(98)

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 09 दिसम्बर, 2011

विषयः– जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में चित्रेश्वरधाम रानीबाग के समीप गौला नदी पर 80.00 मी0 स्पान के पैदल झूला पुल के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में शासनादेश संः– 2228/III(2)/06–32(प्रा0आ0)/06 टी0सी0 दि0 02–09–2006 के संलग्नक में क्रमांक–34 पर उल्लिखित विवरणानुसार विषयगत 80 मी0 स्पान पैदल झूला पुल निर्माण हेतु ₹ 110.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत लागत ₹ 110.75 लाख के सापेक्ष विभाग द्वारा प्रथम चरण के प्रक्रियात्मक कार्यो यथा डी0पी0आर का गठन, कन्सलटेन्सी आदि कार्यो हेतु ₹ 12.00 लाख की धनराशि का व्यय वर्तमान तक किया गया है। प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ किये जाने पर स्थानीय स्तर पर विवाद किया गया। तदुपरान्त विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थानीय नागरिकों एवं चित्रेश्वर धाम के पुजारी से वार्ता कर विवाद सुलझाने में समय लगने तथा नये विकल्प के आधार पर पुल की नई ड्राईग व डिजाईन आई0आई0टी0 रूड़की से वैट कराने एवं मजदूरी व सामग्री दरों में अत्यन्त वृद्धि होने की स्थिति में मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्य हेतु नये शैड्यूल ऑफ रेट्स के आधार पर विस्तृत आगणन उपलब्ध कराया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संः– 2228/III(2)/06–32(प्रा0आ0)/06 टी0सी0 दि0 02–09–2006 के संलग्नक में क्रमांक–34 पर उल्लिखित विवरणानुसार विषयगत 80 मी0 स्पान पैदल झूला पुल निर्माण हेतु स्वीकृत लागत ₹ 110.75 लाख के सापेक्ष प्रक्रियात्मक कार्यो हेतु व्यय की गई धनराशि ₹ 12.00 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए तथा अवशेष लागत ₹ 98.75 लाख की स्वीकृति को निरस्त करते हुए, उक्त कार्य हेतु वर्तमान में प्रस्तुत विस्तृत आगणन की टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 229.62 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु ₹ 11.50 लाख की अनुमति अनुदान संः–22 राज्य योजनान्तर्गत नये निर्माण कार्य की मद से प्रदान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) शासनादेश संः– 2228/III(2)/06–32(प्रा0आ0)/06 टी0सी0 दि0 02–09–2006 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(ii) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(iv) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग मे लाई जाय।

(vi) आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(viii) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(ix) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(x) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(xi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(xii) यदि स्वीकृत कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(xiii) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2012 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय निर्माणधीन चालू कार्यो की मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xiv) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xv) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संः– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस संबंध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22 –लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800 –अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 646/XXVII/(2)/2011 दिनांकः 08 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्याः– 5488 (1)/ III(2)/11–32(प्रा0आ0)/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0 नैनीताल।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल।
10. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।